श्रमिक ठेका ई-निविदा प्रपत्र

(ठेका की अवधि दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2028 तक)

पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर

Phones :- **9726425742**
E- mail :- cff.bds@sanchidairy.com

http:// www.mptenders.gov.in
GSTIN No:- 23AAAAB0221D1ZW

दिनांक

10.10.2025

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल
इकाई पशु आहार संयंत्र पचामा, जिला सीहोर

ठेके पर श्रमिक प्रदाय हेतु ई–निविदा (प्रथम) आमंत्रण की सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल की ईकाई पशु आहार संयंत्र पचामा द्वारा प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रुप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी **Two Bid System** दो बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिये कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/श्रमिक प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन (प्रथम) ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। इच्छुक निविदाकर्ता राशि **रु0 5000/– (रु. पांच हजार मात्र)** का आनलाईन भुगतान कर ई–टेण्डरिंग वेबसाईट **http://www.mptenders.gov.in** से निविदा प्रपत्र आनलाईन क्रय कर सकते है। निविदा संबंधी शर्ते एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट **www.sanchibhopal.com** पर पठन हेतु उपलब्ध है।

1. कार्य का विवरण, तकनीकी अर्हतायें एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरण अनुसार।
2. कार्य स्थल का नाम – पशु आहार संयंत्र पचामा
3. निविदा की समय सारणी

क्र.	विवरण	समय एवं दिनांक
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	11.10.2025 प्रातः 11 बजे से
2	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	31.10.2025 शाम 05 बजे तक
3	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	03.11.2025 दोपहर 03 बजे से
4	निविदा के साथ अनिवार्यतः आनलाईन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	300000/-(रु० तीन लाख मात्र)
5	निविदा प्रपत्र की वैधता की अवधि	निविदा खोलने के 6 माह
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
7	निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र - 1
8	निविदा हेतु "अनिवार्य तकनीकी अर्हताऐ" का प्रारुप	प्रपत्र - 2
9	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारुप	प्रपत्र - 3
10	सूची, जहां श्रमिकों को उपलब्ध कराना है।	प्रपत्र - 4
	नोट : निविदाकार संबंधित दस्तावेज बन्द लिफाफे में दिनांक 31.10.2025 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या. भोपाल/ कार्यालय पशु आहार संयंत्र पचामा में अनिवार्य रुप से जमा करें। अन्यथा निविदा निरस्त होने की स्थिति में स्वंय जिम्मेदार होंगे।	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
इकाई पशु आहार संयंत्र, पचामा जिला सीहोर

<u>प्रपत्र –01</u>

(अ) निविदा की सामान्य शर्ते

1.	पशु आहार संयंत्र, पचामा जिला सीहोर में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी <u>औद्योगिक/वाणिज्यक/ दुग्ध</u> संघों द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र/ कृषी प्रसंस्करण इकाई/खाद्य प्रसंस्करण इकाई/वेयरहाउस इत्यादि में विगत 5 वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25) में श्रमिक प्रदाय का अनुभव अनिवार्यतः तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 , 2022–23 एवं 2023–24 मे से किसी एक वित्तीय वर्ष में <u>औद्योगिक/वाणिज्यक/ दुग्ध</u> संघों द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र/ कृषी प्रसंस्करण इकाई/खाद्य प्रसंस्करण इकाई/वेयरहाउस इत्यादि न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 60 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों का अनुभव होना चाहिए। ऐसे निविदाकारों की निविदा पर ही विचार किया जावेगा।
2.	धरोहर राशि रु0 <u>300000/–(रु तीन लाख)</u> निविदाकार द्वारा **<u>Online</u>** जमा किया जाना अनिवार्य होगा। National Small scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जब्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को न्यून्तम दर निविदाकार की दरो पर कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
3.	निविदा समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा। सक्षम अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी कारण निविदाऐं निरस्त करके पुनः आमंत्रित करने अथवा नस्तीबद्ध करने का निर्णय लेने में सक्षम होगा।
4.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर हेतु प्रतिदिन लगभग 60 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
5.	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से शासकीय नियमो के अन्तर्गत वांछित धनराशि का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
6	सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।
7.	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उक्त लायसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
8.	निविदाए खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हो और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.	श्रमिक ठेका अनुबंध दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2028 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
10.	निविदाकार को **कर्मचारी भविष्य निधि** एवं **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
11.	प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा श्रमिक ठेकेदार को

	यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार हेतु बंधनकारी होगा।
12.	प्लान्ट तीन पारियों में चलता है। अतः उत्पादन के लिए प्रति पारी में कम से कम 20 श्रमिक डम्पिंग एवं उत्पादन एवं बैच कार्य हेतु लगाने होंगे। पक्का माल लोडिंग एवं कच्चा माल अनलोडिंग के लिए सामान्य पारी में क्रमशः 20–20 यानि कुल 60 श्रमिक लगाने होगें। यदि किसी पारी में श्रमिकों की संख्या 60 से कम रहती है तो 500/– रूपये प्रति श्रमिक के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जा सकती है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती, प्रत्येक बार उक्त शास्ति लगाई जाएगी, यह निर्णय प्रबन्धक, पशु आहार संयंत्र, पचामा का पूर्णत विवेकाधीन होगा।
13.	यदि संयन्त्र का उत्पादन कार्य तीनों पारियों में होता है तो कच्चे माल के इनटेक बिन/होपरो में प्रथम पारी वाले द्वितीय पारी वाले को द्वितीय पारी वाले तृतीय पारी वाले को एवं तृतीय पारी पाली वाले प्रथम पारी वाले के लिये भरकर देना होगा। यदि उत्पादन कार्य दो पारियों में होता है तो परस्पर दोनों पारियों को कच्चामाल इन्टेक होपरों/बिनों में भरकर अगली पारी को देना ताकि उत्पादन कार्य प्रभावित न होवें।
14.	आने वाले कच्चे माल के ट्रक अधिक से अधिक 12 घण्टे में निर्देशित स्थान पर खाली करने होंगे। खाली करते समय वांछित तरिके से सेम्पलिंग कराकर निर्देशित स्थान पर 10 तक की थप्पी लगाना होंगे। एव स्लेट पर माल का नाम व दिनांक अंकीत करनी होगी। गाडी खाली करने के पश्चात ट्रक की पूरी तरह से सफाई करनी होगी तथा फैले हुए माल को इकठ्ठा कर निर्देशानुसार बोरियों में भरना होगा। सम्पूर्ण ट्रक पूरी तरह से 12 घण्टे में खाली नहीं होने पर देरी के लिए प्रति ट्रक रूपये 100/– पेनेल्टी स्वरूप बिलों से या अमानत/धरोहर राशि से कटौति की जा सकती है।
15.	निर्देशित स्थान से बिना चट्टे खराब किये कच्चे माल गोदामों से कच्चे माल को इनटेक होपरों में डम्प करते समय बोरियाँ केवल मुँह पर की गई सिलाई को काट कर डम्प करनी होगी। अन्य स्थान से बोरी काटे जाने पर बोरी की कीमत ठेकेदार से वसूली योग्य होगी। पक्के माल के 10 तक की थप्पी लगाने होंगे।
16.	डम्पिंग निर्देशानुसार कहे गये होपर पर करनी होगी। गाडी से सीधा माल लेकर डम्पिंग करने का अधिकार नहीं होगा। प्रबन्धक महोदय चाहें तो आवश्यकता होने पर इस प्रकार की अनुमति / सुविधा दे सकेगें।
17.	कच्चे माल के खाली हुए बारदानों (जूट बैग को 50 बोरी के तथा प्लास्टिक बैग को 100 बैग्स को सुविधा अनुसार) उसी समय भली प्रकार झाडकर साफ कर बंडल कसकर बांधने होंगे तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगाने होंगे अन्यथा प्रत्येक बिखरे हुए व अव्यवस्थित बारदाने के बंडल पर रू. 10/– की पेनल्टी ठेकेदार के बिल से काटी जाएगी।
18.	गोदाम से बाहर स्टोर किए गए माल की बोरियों से बिखरे माल को बोरियों में भरकर बजन करीब 50 किलो गोदाम में रखने होंगे।
19.	भरने व खाली करने में यदि कोई डेमरेज लगता है तो वह ठेकेदार के बिल से वसूल कर लिया जावेगा।
20.	फार्मूले के अनुसार प्रत्येक बैच (नमक, लाईमस्टोन पाउडर, विटामीन ई व विटामिन ए.डी.3) का लगभग 1000 किलो का प्रिमिक्स बैच बनाकर निर्देशानुसार डम्प किया जाऐगा।
21.	जरूरत पड़ने पर अण्डर ग्रांउण्ड खाली कर उसे निर्देशित निर्धारित स्थल पर डम्प करने की जिम्मेदारी अनुबन्धित संवेदक की होगी।
22.	निविदादाता को प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य का स्टोर (कच्चा व तैयार माल)/उत्पादन शाखा में इन्द्राज कराना होगा। उसी आधार पर बिलों का सत्यापन किया जावेगा।
23.	अनुबन्धित संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boardsलगाये जायेंगे, जिन पर अनुबन्धित संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्प लाईन नम्बर एवं ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
24.	पशु आहार संयन्त्र पचामा में सुरक्षा कार्य एवं श्रमिक उपलब्ध करवाने का कार्य (मेनपावर), प्लान्ट मशीनरी पार्ट्स निविदा/कच्चे माल आपूर्तिकर्ता के अनुबन्धित ठेकेदार एवं रिश्तेदार इत्यादि इस निविदा में भाग नहीं ले सकेगें। अर्थात ठेकेदार एक समय में संयंत्र में एक ही कार्य कर सकेगा।
25.	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व

	सम्बन्धित ठेकेदार/एजेन्सी का होगा।
26.	सिक्युरिटी मेनगेट पर प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पूर्ण होने पर परिसर से बाहर जाने का समय अंकित होगा।
27.	यह कि अनुबन्धित संवेदक के द्वारा नियोजित श्रमिक के कार्य का सुपरविजन, कन्ट्रोल, डायरेक्शन व वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
28.	यदि अनुबन्धित संवेदक निर्धारित अवधि प्रतिमाह की 07 तारीख तक पारिश्रमिक भुगतान करने में चूक करता है या निर्धारित पारिश्रमिक से कम भुगतान करता है तो उस परिस्थिति में संयत्र द्वारा बकाया राशि पर नियमानुसार राशि की कटौति ठेकेदार के बिल में से की जा सकेगी। और दो या अधिक बार इस प्रकार की कटौति होने की स्थिति में सम्बन्धित अनुबन्धक का अनुबन्ध निरस्त करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
29.	कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्धटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी/दायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का होगा। इसके लिए संयत्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
30.	अनुबन्धित संवेदक को श्रमिकों के उपचार हेतु First-Aid की सुविधा संयंत्र परिसर में ही उपलब्ध करानी होगी।
31.	श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये ठेकेदार/एजेन्सी स्वंय उतरदायी होगा। संयंत्र में कार्य सम्पादन के दौरान यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता या चोट लग जाती है उसकी जिम्मेदारी निविदादाता/अनुबन्धित संवेदक की होगी।
32.	भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. की राशि श्रमिकअनुबन्धित संवेदक द्वारा अपने कोड में अनिवार्यतः जमा करवाना होगा। तथा इसकी समस्त वैधानिक जिम्मेदारी श्रमिकअनुबन्धित संवेदक की होगी। एवम् ग्रुप इन्श्युरेन्स/बॉनस इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
33.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बकाया ब्याज शास्ति, वसूली के लिए ठेकेदार/एजेन्सी वर्तमान व भविष्य में पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगा एवं इस प्रकार की वसूली की सूचना यदि भविष्य निधि विभाग अनुबंध अवधि में अथवा बाद मे संयत्र को मिलती है तो उक्त वसूली ठेकेदार/एजेन्सी से की जावेगी एवं आवश्यकता पडने पर उक्त वसूली के लिए प्रबन्धक/प्रभारी संयन्त्र कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने में स्वतंत्र रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/एजेन्सी स्वंय की होगी।
34.	सफल निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक अधिकतम रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति पशु आहार संयंत्र पचामा द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्क्समेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
35.	किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए । इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
36.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि (Security Deposit) **रूपये 08.00 लाख (रु आठ लाख मात्र)** अनुबंध के समय जमा करनी होगी। इस हेतु सफल निविदाकार की धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रू 3,00,000/– (रु तीन लाख मात्र) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा। साथ ही सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में शेष राशि रू 5,00,000/– (रु पांच लाख मात्र) नगद पशु आहार संयंत्र पचामा कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करनी होगी। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि

	(Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
37.	स्वीकृत निविदाकार को कार्य के बिल प्रत्येक माह की समाप्ति पर सात दिवस में देने होंगे, तथा बिल के साथ समस्त वैधानिक दस्वातेज (ESIC, EPF चालान की प्रति संलग्न) प्रस्तुत करने के पश्चात देय भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक/RTGS द्वारा , सामान्यतः एक सप्ताह में पशु आहार संयंत्र पचामा के द्वारा कर दिया जावेगा। आयकर/जीएसटी अधिनियम/नियम के तहत भुगतान में से नियमानुसार स्वीकृत निविकार को आयकर जीएसटी/टीडीएस इत्यादी की कटौति की जायेगी। तथा कटौतियां अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने की अविध तक लागू रहेगी। श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है । ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी। यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
38.	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
39.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा । श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
40.	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
41.	श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से पशु आहार एवं मिनरल मिक्सचर तथा संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
42.	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के स्वस्थ श्रमिक देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में

	कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक को तत्काल हटाना होंगा। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/— तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
43.	प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
44.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते) श्रमिक ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। सुदाना उत्पादन एवं पैकिंग कार्यो में संलग्न श्रमिकों को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शूकवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू. 100/— प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। निर्धारित गणवेश के बिना पशु आहार संयंत्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/— प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रु0 1500/— (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1200/— तथा एक जौडी जूते के रु0 300/—)के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।
45.	समय—समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार को तदानुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा । श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम आदि का पालन करना अनिवार्य होगा तथा वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त लायसेंस का नवीनीकरण अनिवार्यतः कराना होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को सुरक्षाकर्मियों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
46.	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा संयंत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/— प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
47.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/ लगाये गये श्रमिकों को मानव दिवस **(Mandays)** के आधार पर सभी शाखाओं से सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति

	पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ / पशु आहार संयंत्र पचामा द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
48.	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में जमा किये गये रिर्टन की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
49.	ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक **(Wages)** पर ही देय होगा। श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
50.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। श्रमिक ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब कोड़ **(Sub Code)** तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
51.	पशु आहार एवं अन्य कच्चे माल की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामे की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता ,श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर –बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही पशु आहार वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक को हटाया जायेगा। अधिक पाये गये पशु आहार का 20 गुना राशि का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार से किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
52.	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। श्रमिक

	ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरूद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि को श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियमों में प्रावधानित समयावधि में जमा कराया जावेगा, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 50,000/— प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
53.	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
54.	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।
55.	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को श्रमिक ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस **(Mandays)** के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
56.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा पशु आहार/मिनरल मिक्सचर की फिलिंग के समय शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय बेग में कम वजन, फटे बेग या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/कॉच/पत्थर का टुकडा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थ दण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
57.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं सर्विस टैक्स का कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
58.	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
59.	प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
60.	श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
61.	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
62.	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
63.	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त श्रमिक द्वारा पशु आहार संयंत्र पचामा की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जावेगी।
64.	पशु आहार संयंत्र पचामा परिसर में कार्य स्थल पर मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित है।
65.	श्रमिको द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिको से उनका परिचय पत्र जमा करना होगा।
66.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कायर्झलयीन रिकार्ड

	हेतु पशु आहार संयंत्र पचामा कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
67.	यदि किसी व्यक्ति को पचामा कार्यालय सुरक्षा कारणो, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुची से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
68.	श्रमिको के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याए/शिकायत को निराकरण/समाधान करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
69.	किसी श्रमिक के व्यक्तिगत कारणो से कार्य छोडने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।
70.	सेवा प्रदायक द्वारा सेवा का प्रदाय निर्धारित मापदंड अनुसार हो इस बात का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते है अथवा आदेश के क्रियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं सेवा प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का दुग्ध संघ/एम.पी.सी.डी.एफ. को अधिकार होगा। निविदा मे वर्णित शर्तो के अनुरूप सेवाऐं प्रदान न करने की दशा मे क्षतिपूर्ति निम्नानुसार होगी। क्र. | विलंब की अवधि | क्षतिपूर्ति राशि 1 | 1 माह तक | लागत का 1 प्रतिशत 2 | 1 से 2 माह तक | लागत का 2 प्रतिशत 3 | 2 माह से अधिक | लागत का 5 प्रतिशत यदि प्रदायक/निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता निविदा मे उल्लेखित शर्तो के अधीन वस्तुओं को प्रदाय नहीं करता है अथवा अपेक्षित सेवाऐं नहीं करता है तो दुग्ध संघ/एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा आदेश निरस्त किया जा सकेगा, निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा निविदा की प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
71.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को संघ की काली सूची में समाविष्ट कर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
72.	यदि किसी निविदाकार द्वारा 0 प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 29 (1) 2014–पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऐसा सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, जिससे निविदा की शर्तों (गणवेश प्रदाय, वैधानिक भुगतान आदि) की पूर्ति संभव नहीं है अथवा जो व्यवहारिक रूप से अनुकूल नहीं है (टी.डी.एस. कटौत्रा आदि), तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या. भोपाल द्वारा उक्त निविदाकार की निविदा को अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
73.	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
74.	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
75.	यदि श्रमिक ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे सीहोर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
76.	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ. को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
77.	यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा में निर्दिष्ट समस्त कार्यक्षेत्र (Entire Scope of Work) केवल एक ही सफल निविदाकर्ता को आवंटित किया जाएगा। न्यूनतम दर (Lowest Quoted Rate- L-1) प्रदान करने वाले पात्र एवं सफल निविदाकर्ता को ही संपूर्ण कार्य का अनुबंध प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य निविदाकर्ता को कार्य का आंशिक अथवा संयुक्त रूप से आवंटन नहीं किया जाएगा।
78.	उरोक्त सतस्त प्रावधान निविदा प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जायेगा तथा प्रत्येक निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

इकाई पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर

प्रपत्र –02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

पशु आहार संयंत्र, पचामा जिला सीहोर में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि **(Earnest Money)** रू. 300000/– (रूपये तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक .... जो कि, ... बैंक, शाखा का नाम .... का है एवं **CATTLE FEED FACTORY PACHAMA SEHORE** के नाम देय है, को संलग्न कर रहा हूँ एवं निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र।	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित वैद्य लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	
5	भविष्य निधि कोड नं. ।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र। (स्वप्रमाणित)	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र । (स्वप्रमाणित)	
7	जीएसटी पंजीयन कोड।	जीएसटी का पंजीयन प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)	
8	अमानत राशि	निविदा हेतु अमानत राशि का विवरण प्रस्तुत करें।	
9	टेंडर फार्म खरीदने की रसीद	टेंडर फार्म खरीदने की रसीद भी अपलोड करें तथा संलग्न करें।	
10	वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	
	किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/कॉपरेटिव संस्था(केटल फिड	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते	

11	प्लान्ट / वेयरहाउस / निगम / बोर्ड / स्वायतशासी संस्था) इत्यादि में पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष रु. 3 करोड़ अनिवार्यतः होना चाहिए।	(Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी बी एवं 3 सी डी)।	
12	औद्योगिक / वाणिज्यक / दुग्ध संघों द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र/ कृषी प्रसंस्करण इकाई / खाद्य प्रसंस्करण इकाई / वेयरहाउस में गत 5 वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 60 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र। (स्वप्रमाणित)	
13	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष ((2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति। (स्वप्रमाणित)	
14	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष ((2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति अथवा उल्लेखित वित्तीय वर्षो में ठेकाश्रमिकों के कम्प्रेसिंव बीमा पालिसी की छायाप्रति। (स्वप्रमाणित)	
15	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण / वाद आदि विचाराधीन / लंबित न होने का शपथ–पत्र।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100 / – के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	
16	क्या निविदाकर्ता का सीहोर शहर में कार्यालय है।	यदि हॉं, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
17	क्या आपकी संस्था भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉं, तो पूर्ण विवरण देवें। Work order एवं Agreement की प्रति प्रस्तुत करें।	
18	क्या आपकी संस्था इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर / ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉं, तो पूर्ण विवरण देवें। Work order एवं Agreement की प्रति प्रस्तुत करें।	
19	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स / जीएसटी इत्यादि का कोई विवाद तो पंजीकृत / विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100 / – के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	
20	क्या उक्त संस्थाओं से संस्था को ब्लेक लिस्टेड किया गया है।	यदि हॉं, तो पूर्ण विवरण देवें। (शपथपत्र प्रत्र प्रस्तुत करें)	

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार /अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

स्थान ....

दिनांक ....

निविदाकार का नाम :–..

पत्राचार हेतु पता :–..

....

दूरभाष / मो.न. :– ....

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
इकाई पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर

प्रपत्र –03

"भाव पत्र / दर"

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र.	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम रू. 1,00,000 /– प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान
7	जी.एस.टी – श्रमिक ठेकेदार द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।

नोटः–

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays)तथा प्रति मै.टन मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :–

क्र.	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान **(लागू होने पर)** – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :– (केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र.	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज (Cannot quote "0" as per rules)	

निविदाकार /अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

स्थान .... निविदाकार का नाम :–...

दिनांक .... पत्राचार हेतु पता :–...

....

दूरभाष / मो.न. :– ....

तीन वर्ष के लिये श्रम कार्य की दरें
(दरे आनलाईन ही प्रस्तुत की जानी है)

प्रपत्र –04

(अ) सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत पशु आहार संयंत्र, पचामा में सफल निविदादाता को वित्तीय निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर से, निम्न दिये गये कार्य विवरण **(Point No 01 से 15)** के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित करने होंगें। इन समस्त कार्यो का भुगतान संयंत्र पर उत्पादित पशु आहार (पक्का माल) के आधार पर प्रति क्विंटल की दर से किया जायेगा।

क्रं. सं.	कार्य का विवरण	गणना हेतु निर्धारित मात्रा	दर रू
1	कच्चे माल की बोरियों को वाहन से वांछित तरीके से सेम्पलिंग कराकर निर्देशित स्थान पर उतारकर 10 तक की थप्पी लगाना एवं अनलोडिंग के समय बिखरा माल उसी समय भरकर सिलाई कर गोदाम में निर्देशित स्थान पर लगाना शामिल है।	3500.00	प्रति मै.टन
2	पक्के माल के निर्देशित चट्टे से बिना चट्टे खराब किये व बिना हुक लगाये बोरियों को उठाकर ट्रकों में लोड करना।	3000.00	प्रति मे.टन
3	पक्के माल को मशीन द्वारा बोरियों में भरकर तोलकर सिलाई कर प्लान्ट से पक्के माल के गोदाम में 10 तक की थप्पी लगाना। (वर्तमान में प्रत्येक बोरे में 50 कि.ग्रा पशु आहार भरा जाता है।)	3400.00	प्रति मे.टन
4	10 के ऊपर थप्पी लगाना (10 तक की थप्पी की दर के अतिरिक्त देय) (कच्चा माल पक्का माल)	500.00	प्रति मे.टन
5	हापर लगाई व कटाईः– विभिन्न प्रकार की बोरी इन्टेक हापर पर लगाना व काटना (बोरी का नीचे फेला हुआ माल भी समेट कर भरकर लगाकर काटना होगा।)	3000.00	प्रति मै.टन
6	नया बारदाना (HDPE/PP Bags) के बन्डल/गांठ (लगभग 500 बैग) को वाहन से उतारकर निर्देशित स्थान पर जमाना एवं बोरी गिनती करना।	200.00	प्रति बंडल
7	पुराने बारदाना झटकार कर एवं छांटकर श्रेणी अनुसार 50–50 के बंडल बांधकर निर्दिष्ट स्थान पर व्यवस्थित जमाना बंडल बांधने के लिए सुतली की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी।	1250.00	प्रति बंडल
8	कच्चा माल/पक्का माल के बोरे गोदाम से उठाकर बाहर मैदान में थप्पी लगाना या बाहर से लाकर गोदाम में रखना या सीधे हापर पर थप्पी लगाना एवं काटना।	200	प्रति मे.टन
9	कच्चा माल/पक्का माल के गोदाम से बोरें ट्रक/ट्राली द्वारा परिवहन कर मैदान में थप्पी लगाना या ट्रक/ट्राली द्वारा परिवहन कर बाहर से लाकर गोदाम में थप्पी लगाना या हापर पर लगाकर काटना।	20.00	प्रति मे.टन
10	माल को एक बोरे से दूसरे बोरे में पल्टी करना।	20.00	प्रति मे.टन
11	संयत्र में किसी भी मंजिल से (बेसमेंट सहित) बिखरे माल को एकत्रित कर बोरियों में भरना एवम् निर्देशानुसार स्थान पर डम्प करना।	20.00	प्रति मे.टन
12	मिनरल मिक्चर प्लांट से मिनरल मिक्चर/प्रीमिक्स की बोरी कच्चा माल गोदाम तक परिवहन कर उतारना।	34.00	प्रति मे.टन
13	बारदानों के बंडल उठाकर निर्दिष्ट स्थान पर रखना।	1250.00	प्रति मे.टन

14	चैन स्टेक के बोरे तौलना व सुदाना आदि के बोरे समय–समय पर तौलना।	5.00	प्रति मे.टन
15	सुदाना के बोरे चैन स्टेक पर पहुँचाना।	10.00	प्रति मे.टन
16	अन्य पशु आहार सम्बन्धित कार्य प्रबन्धन के निर्देशानुसार करना होगा।		
(अ)	योग (क्र.1 से 15 तक)		
क्र.	संयंत्र में श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण		
1	कच्चा माल गोदाम की मजदूरों से सफाई करवाना।		
2	पक्का माल गोदाम की मजदूरों से सफाई करवाना।		
3	प्लांट में सभी मंजिलों की सफाई मजदूरों से करवाना व बेसमेन्ट की सफाई करवाना।		
4	संयंत्र, कार्यालय, व कॉलोनी परिसर, लेट्रीन बाथरूम सफाई हेतु स्वीपर उपलब्ध कराना है।		
5	ग्रामवन कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराना।		
6	अन्य कार्यो की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराना।		
7	संयंत्र में उत्पादन कार्य में सहयोग हेतु (तीन पारियों में) अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना।		
8	कार्यालयीन कार्यो में सहयोग हेतु कुशल/उच्चकुशल श्रमिक उपलब्ध कराना।		
9	क्र. 1 से 8 के लिये सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर (मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर) प्रतिशत में। **(दर प्रस्तुत करने से पहले बिंदु क्रमांक 1 से 8 एवं बिंदु कं 10 का संदर्भ लें।)**		
10	क्र. 1 से 8 तक अनुमानित मानव दिवस निम्नानुसार है के आधार पर सर्विस चार्ज के भुगतान की गणना करना है। 1. उच्चकुशल श्रमिक :– 11 (वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर रु. 633/– प्रतिदिन) 2. कुशल श्रमिक –.26 .(वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर रु. 571/– प्रतिदिन) 3. अर्धकुशल श्रमिक – 9 (वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर रु. 505/–. प्रतिदिन) 4. अकुशल श्रमिक – 29 (वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर रु. 466/– प्रतिदिन)		
(ब)	योग		
	सकल योग (अ + ब)		
1	बारदाना बंडल ट्रक में डालना (क्रेता द्वारा देय) न्यूनतम दर निविदाकार हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा। दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		
2	जमाई खड़ी कराई जो ट्रांसपोर्ट/ट्रक ड्राईवर द्वारा देय है। न्यूनतम दर निविदाकार हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा। दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		

नोटः–

1. संयंत्र में सफाई हेतु झाड़ू की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम (जिलाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर घोषित श्रमिक दरें) के अनुसार श्रमिकों को भुगतान हो सके इस आशय को ध्यान में रखते हुये दरें प्रस्तुत की जावें।

2. निविदाकार द्वारा "अ"/A के तहत वांछित श्रम कार्य की दरों के विरुद्ध पशु आहार संयंत्र पचामा द्वारा अधिकृत हम्मालों से ही कार्य करवाया जावेगा तथा उनको मानव दिवस के आधार पर भुगतान कर नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की गणना कर जमा किया जाकर चालान कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसकी नियमानुसार नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति संयंत्र से की जावेगी तथा "अ"/A हेतु स्वीकृत दरों पर किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा में निर्दिष्ट समस्त कार्यक्षेत्र (A+B) केवल एक ही सफल निविदाकर्ता को आवंटित किया जाएगा। न्यूनतम दर (Lowest Quoted Rate- L-1) प्रदान करने वाले पात्र एवं सफल निविदाकर्ता को ही संपूर्ण कार्य का अनुबंध प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य निविदाकर्ता को कार्य का आंशिक अथवा संयुक्त रूप से आवंटन नहीं किया जाएगा। उक्त प्रावधान निविदा प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाएगा तथा सभी निविदादाताओं पर बाध्यकारी होगा।

4. निविदा में प्रस्तुत मूल्य अनुसूची (कार्य विवरण) A एवं B दोनों में ही दरें प्रस्तुत करना अनिवर्य है।

निविदाकार /अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

स्थान ....

दिनांक ....

निविदाकार का नाम :–...

पत्राचार हेतु पता :–..

....

दूरभाष/मो.न. :– ....

तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश :—

तकनीकि बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न प्रपत्र क्रमांक – 02 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 2 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. आवश्यक तकनीकी अर्हता क्रमांक 15, 19 एवं 20 हेतु पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. तकनीकी निविदा खोले जाने के समय निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को आवश्यक तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कराना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा खोले जाने के पश्चात् निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को दिनांक .... को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कराना अनिवार्य है ।

3. ''निविदा की सामान्य शर्तें'' पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र क्रमांक 1 की प्रति एवं प्रपत्र क्रमांक 2 ''अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 19 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां अन्य सील बंद लिफाफे में डालकर जमा कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु इस लिफाफे पर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये प्रपत्र क्रमांक 1 ''निविदा की सामान्य शर्तें'' एवं प्रपत्र क्रमांक 2 ''अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें'' लिखा जावे।

4. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित दोनों सील बंद लिफाफों को एक पृथक लिफाफे में डालकर सील कर इस लिफाफे पर भी निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये **''पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर श्रमिक ठेका ई–निविदा वर्ष 2025–28''** लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को भोपाल दुग्ध संघ/पशु आहार संयंत्र पचामा कार्यालय में निर्धारित तक अनिवार्यतः जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।

5. प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुये उनकी स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 04 में वर्णित अनुसार ऑफलाईन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।

6. **निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। शर्तों के साथ की निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जावेगा।**

7. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त आवश्यक अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दर ऑनलाइन खोली जायेंगी।

8. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि **(Earnest Money)** राजसात की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

उपरोक्त निविदा की शर्त क्रमांक 1 से 79 तक सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील

स्थान .... नाम :– ....

पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दिनांक .... दूरभाष / मो0न0 :– ....

प्रपत्र –05

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 15 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता)......................(पंजीयन क्रमांक)........................... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...................(आयु)................(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

प्रपत्र –06

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 19 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)...........................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक)......................शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅं कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅं।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/ इन्दौर/उज्जैन/ जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...................(आयु)...............(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅं कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 20 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता)......................(पंजीयन क्रमांक)............................. शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/औद्योगिक/वाणिज्यक/ दुग्ध संघों द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र/ कृषी प्रसंस्करण इकाई/खाद्य प्रसंस्करण इकाई/वेयरहाउस द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....

दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...................(आयु)................(पता).................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

मैं
स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता